[2019] 8 एस सी आर 187

राजेश और ओआरएस।

वी.

हरियाणा राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 813)

मई 1,2019

[एल. नागेश्वर राव और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.319-एस. के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का दायरा और दायरा। 319 अभियोजन का मामला यह था कि

दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दस अभियुक्त व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचे जहाँ शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1), उसका बेटा (पीडब्लू-2) और पीड़ित मृतक मौजूद थे-अभियुक्त व्यक्ति तलवार, पिस्तौल, हॉकी, लोहे की छड़ें और गांडसी आदि से लैस थे और उन्होंने पीडब्लू-2 और पीड़ित-मृतक पर हमला किया और अपने-अपने हथियारों से घायल कर दिया जब पीडब्लू-1 ने शोर मचाया, तो आरोपी व्यक्ति भाग गए घटना स्थल से-घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां मृतक ने दम तोड़ दिया-जांच अधिकारी ने केवल चार अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत की-उनके अनुसार, अपीलकर्ता घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे-इसके बाद जांच एजेंसी ने आगे की जांच की जिसमें यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वे अलग-अलग स्थानों पर पाए गए थे-मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं को रिहा करने का निर्देश दिया-अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया-पीडब्लू-1 द्वारा एस के तहत दायर आवेदन। 319 अपीलार्थियों को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए तलब करना कि अपीलार्थी घटना के समय मौजूद थे-निचली अदालत ने अपीलार्थी को तलब किया

एस. एस. के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करें। 148 , 149 , 323 , 325 , 302 , 307 और आई. पी. सी. की धारा 506-निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पीडब्लू-1-प्रथम सूचना देने वाले ने विशेष रूप से दस व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नामित किया था, जिसमें प्राथमिकी में अपीलकर्ता भी शामिल थे-हालांकि, उन्हें चालान/आरोप-पत्र में अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था-यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि पीडब्लू-1 को अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप-पत्र दायर नहीं करने के खिलाफ विरोध आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया था-अदालत के समक्ष बयान में, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने विशेष रूप से अपीलकर्ताओं के खिलाफ कहा था और विशिष्ट भूमिका उनके लिए थी-इस प्रकार, अदालत के समक्ष पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था।

मुकदमे के दौरान "सबूत" कहा जाता है और इसलिए, उसी के आधार पर जिन व्यक्तियों के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता था-इसलिए, नीचे के न्यायालयों द्वारा अपीलार्थियों को एस के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी। 319 .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.319-जाँच एजेंसी ने जाँच की जिसमें उसने पाया कि अपीलकर्ता घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे-चूंकि अपीलकर्ता हिरासत में थे, एस. एच. ओ. ने 1.9.2016 और 28.10.2016 पर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया कि जाँच के बाद चूंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए उन्हें आरोपमुक्त/रिहा किया जा सकता है-मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ताओं को रिहा करने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी-एस के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन। 319 को

अपीलार्थियों को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए समन करें कि अपीलार्थी घटना के समय उपस्थित थे, निचली अदालत ने समन किया

अपीलार्थी मुकदमे का सामना करने के लिए-यह प्रस्तुत करना कि एक बार जब अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी/एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आरोपमुक्त कर दिया गया था, इसलिए, उसके बाद मजिस्ट्रेट के लिए यह खुला नहीं था कि वह अभियुक्त को एस. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाए। 319 – आयोजित किया गयाः प्रस्तुतिकरण मान्य नहीं है-दिनांक 1 और 2 के आदेशों को अभियुक्त का निर्वहन करने वाले आदेश नहीं कहा जा सकता है-यदि जांच अधिकारी/एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत आवेदनों और उन पर पारित आदेशों पर विचार किया जाता है, तो वे अपीलार्थियों को अभिरक्षा से निर्वहन/रिहा करने के लिए आवेदन थे क्योंकि उस स्तर पर अपीलार्थी न्यायिक हिरासत में थे-इसलिए, उन आदेशों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

सख्त अर्थ में आरोपमुक्त करने के आदेश-वे आदेश थे जो अपीलार्थियों को अभिरक्षा से मुक्त करते थे-इन परिस्थितियों में, अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि क्योंकि उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया था और इसलिए मजिस्ट्रेट के लिए एस के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए खुला नहीं था। 319 सी. आर. पी. सी. और अपीलार्थियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: समापन रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले समापन रिपोर्ट प्रक्रिया का पालन किया जाना-आयोजितः समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है और शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को राजेश और ओआरएस जमा करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

वी. हरियाणा राज्य

विरोध आवेदन और, उसके बाद, शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट या तो समापन रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है या समापन रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता है और उन व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्देश दे सकता है जिनके लिए समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. मुकदमे के दौरान पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 के बयान दर्ज किए गए। बयान में, उन्होंने विशेष रूप से कहा अपीलार्थियों द्वारा की गई टिप्पणी और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घटना/आयोग के समय

अपराध के संबंध में, अपीलार्थी भी उपस्थित थे और उन्होंने अपराध करने में भाग लिया। कि, इसके बाद, मूल शिकायतकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर, मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया और अपीलार्थियों को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। उक्त आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी। [पैरा 6.1] [197-डी-एफ]

2. समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और एक अवसर देने के लिए बाध्य है विरोध आवेदन जमा करने के लिए। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने का चरण चला गया है, जिसमें निचली अदालत से अन्य व्यक्तियों को भी तलब करने का आग्रह किया गया है, जिनके नाम प्राथमिकी में शामिल किए गए थे, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किए गए थे, उस मामले में भी अदालत अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है और यहां तक कि उन व्यक्तियों को भी जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें मुकदमे के दौरान दिए गए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है।

प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ सबूत सामने आते हैं। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि क्या किसी भी समय शिकायतकर्ता को अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर न करने के खिलाफ विरोध आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया था। न्यायालय के समक्ष बयान में, पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 ने विशेष रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ कहा है और विशिष्ट भूमिका का श्रेय अभियुक्त अपीलार्थियों को दिया जाता है। इस प्रकार, पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 का कथन अदालत को मुकदमे के दौरान "सबूत" कहा जा सकता है और इसलिए, उसी के आधार पर वे व्यक्ति जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है [2019] 8 एस. सी. आर.

दाखिल किए गए पत्रक को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा समन करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी

अपीलार्थियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करना होगा। 01.09.2016 और 28.10.2016 दिनांकित आदेशों को अभियुक्त को रिहा करने का आदेश नहीं कहा जा सकता है। यदि जांच अधिकारी/एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत आवेदनों और उन पर पारित आदेशों पर विचार किया जाता है, तो वे अपीलार्थियों को हिरासत से मुक्त करने/रिहा करने के लिए आवेदन थे उस समय अपीलार्थी न्यायिक हिरासत में थे। [अनुच्छेद 6.1,7.10,8,9] [197-बी; 209-ई-एफ; 210-ए-सी, ई-एफ]

प्रदीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92: [2014] 2 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

एस. मोहम्मद इस्पाहानी बनाम। योगेंद्र चंडक (2017) 16 एस. सी. सी. 226; भगवंत सिंह बनाम। पुलिस आयुक्त (1985) 2 एससीसी 537: [2017] 3 एस. सी. आर. 374-निर्भर।

बिजेंद्र सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (2017) 7 एस. सी. सी. 706-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 2 एससीआर 1

पीछा किया।

पै

रा 4.1

(2017) 7 एस. सी. सी. 706

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.5

[2017] 3 एससीआर 374

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5.1

(2017) 16 एससीसी 226

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.9

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 813

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आपराधिक संशोधन संख्या 521 के निर्णय और आदेश से

2018

आर. बसंत, सीनियर एड. , श्रीमती रानी छाबड़ा, श्रीमती नीलम कलसी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमित कुमार, ए. ए. जी., विश्व पाल सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

राजेश और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.12.2018 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और

हरियाणा ने चंडीगढ़ में 2018 के आपराधिक संशोधन-सी. आर. आर. संख्या 521 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है और दिनांक 1 के आदेश की पुष्टि की है।

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 148,149,323,324,325,302,307 और 506 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था, अपीलार्थियों ने यहां वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

उस व्यक्ति हुकुम सिंह ने आई. पी. सी. की धारा 148,149,323,324,325,302,307 और 506 के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं सहित दस अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर, पानीपत में एक प्राथमिकी संख्या 180 दर्ज की। यह आरोप लगाया गया था कि लगभग 1:30 बजे, वह अपने बेटे भज्जी और प्रकाश के बेटे हरि के साथ अपने ट्रैक्टर पर पानीपत से अपने गांव छाजपुर खुर्द जा रहे थे। उनके बेटे ने अपनी मोटरसाइकिल नंदी की दुकान के सामने बस स्टैंड पर खड़ी की थी। इसलिए, उनके बेटे भज्जी और प्रकाश के बेटे हरि मोटरसाइकिल लेने के लिए ट्रैक्टर से उतरे। इस बीच जब उनके बेटे ने मोटरसाइकिल उठाई तो जगपाल का बेटा सुनील स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आया। रमेश का बेटा रवित और जसवंत का बेटा विक्की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे। पारस का बेटा शीला अपनी मोटरसाइकिल पल्सर पर था और जगदीश का बेटा सुमित, राय सिंह का बेटा रिंकू अपनी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठा था। ओम सिंह का बेटा सुंदर मोटरसाइकिल बुलेट पर था और प्रेम का बेटा राजेश और बिश्नी का बेटा संजय उक्त मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठे थे। राजिंदर का बेटा अंकुश अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर था और देवी सिंह का बेटा जगदीश और नर सिंह का बेटा तेजपाल उसके पीछे बैठे थे। साहब सिंह का बेटा जोनी अपनी मोटरसाइकिल बुलेट पर था और खिल्ला का सचिनसन उसके पीछे बैठा था। वे तलवार, पिस्तौल, हॉकी, लोहे की छड़ें और गांडसी आदि से लैस थे। उन्होंने उनके बेटे भज्जी और प्रकाश के बेटे हरि पर हमला किया। रमेश के बेटे रवित के पास हॉकी थी, जसवंत के बेटे विक्की के पास लकड़ी का डंडा था, पारस के बेटे शीला के पास गांडसी थी। जगदीश के बेटे सुमित के पास पिस्तौल थी, राय सिंह के बेटे रिंकी के पास [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओम सिंह का बेटा सुंदर लकड़ी की लाठी से लैस था, प्रेम का बेटा राजेश तलवार से लैस था, देवी सिंह का बेटा जगदीश लाठी से लैस था, नर सिंह का बेटा तेजपाल लोहे की छड़ी से लैस था, साहब सिंह का बेटा जोनी कुदाल के लकड़ी के हैंडल से लैस था, रुहला राम का बेटा सचिन तलवार से लैस था और साही राम का बेटा जोगिंदर अपने साथ गांडसी ले रहा था। प्रेम के बेटे राजेश ने उन दोनों को मारने के लिए उकसाया क्योंकि वे पंचायत की जमीन से उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। प्रोत्साहन के अनुसार, अभियुक्त ने अपने-अपने हथियारों से अपने बेटे और प्रकाश के बेटे हरि को घायल कर दिया। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी अपनी मोटरसाइकिलों पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए

यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। इस बीच, उनके भाई महेंद्र वहाँ आए और उन्होंने दोनों घायलों को प्रेम अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ प्रकाश के बेटे हरि ने इलाज के दौरान 14.06.2016 पर दम तोड़ दिया।

3.1 कि एफ. आई. आर. में नामित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच अधिकारी ने जाँच की और दस लोगों को पाया

उक्त घटना में शामिल। हालांकि, जांच अधिकारी ने पाया कि यहाँ अपीलार्थी (संख्या में छह) घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। कि जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

केवल चार अभियुक्तों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2)। कि, इसके बाद जांच एजेंसी ने जगदीप द्वारा आगे की जांच की सिंह, डीएसपी, पानीपत। ऐसा प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। जाँच अधिकारी के अनुसार, अपराध होने की तारीख को यहाँ अपीलकर्ता घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वे विभिन्न स्थानों पर पाए गए थे जो जाँच एजेंसी द्वारा भी पाए गए हैं। यह.

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद, चूंकि अपीलार्थी अभिरक्षा में थे, इसलिए एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन सदर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पानीपत के समक्ष 01.09.2016 और 28.10.2016 पर आवेदन दायर किए और कहा कि जाँच के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ इसमें कोई चालान दायर नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए वे हो सकते हैं

छुट्टी दी गई/रिहा किया गया। कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों को रिहा करने का निर्देश दिया। कि, इसके बाद बाकी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ा, जिनके खिलाफ चालान/आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों-पी. डब्ल्यू. 1, मूल मुखबिर और पी. डब्ल्यू. 2, भज्जी, घायल चश्मदीद गवाह से पूछताछ की। उन दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की और स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता राजेश और ओआरएस।

आई. पी. सी. की धारा 148,149,323,324,325,302,307 और 506 के तहत अपराधों के लिए 3.2 विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है। इसलिए अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान अपील, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया गया है।

4. इसमें अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत उपस्थित हुए हैं।

मामले की परिस्थितियों में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थियों को बुलाकर गलती की है। 4.2 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसंत द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान निचली अदालत दोनों ने उचित रूप से इसकी सराहना नहीं की है।

धारा 319 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का दायरा और दायरा

सीआरपीसी। इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, मामले में हरदीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2014) 3 एस. सी. सी. 92, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत शक्ति एक [2019] 8 एस. सी. आर. है।

संयम से और केवल उन मामलों में जहां मामले की परिस्थितियाँ इसलिए आदेश दें।

4.3 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने यांत्रिक रूप से

इस तथ्य के बावजूद आदेश पारित किया कि कोई मजबूत और ठोस नहीं था

मुकदमे के समय भी अभिलेख पर साक्ष्य।

4.4 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में,

जाँच एजेंसी ने मामले की पूरी तरह से जाँच की जब सभी

अपीलार्थी न्यायिक अभिरक्षा में थे और सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी अपीलार्थी निर्दोष थे क्योंकि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और इसके बाद उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की और केवल चार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ चालान दायर किया और इसमें अपीलार्थी के खिलाफ चालान दायर नहीं किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल इसके बाद भी, डी. सी. पी. द्वारा आगे की जांच की गई, जिन्होंने सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में भी सभी अपीलकर्ताओं को निर्दोष पाया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन सदर ने अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत किए

अपीलार्थियों का निर्वहन विशेष रूप से यह कहते हुए कि अपीलार्थी निर्दोष हैं और विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त निर्वहन की अनुमति दी

आवेदन, हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा विरोध किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, एक बार जब विद्वान मजिस्ट्रेट ने एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन, सदर द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया, तो उसके बाद केवल पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 के बयानों के आधार पर, जो कि पुलिस के समक्ष अपने बयानों में उन्होंने जो कहा था, उसे दोहराने के अलावा और कुछ नहीं था, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलकर्ताओं को बुलाना उचित नहीं था। 4.5 बिजेंद्र सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। राजस्थान राज्य (2017) 7 एस. सी. सी. 706, यह श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, केवल शिकायतकर्ता और कुछ अन्य व्यक्तियों के बयान के आधार पर, बिना किसी अन्य के

उनके तथाकथित मौखिक/मौखिक संस्करण का समर्थन करने के लिए सामग्री, किसी भी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह राजेश एंड ओआरएस पर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने और आई. पी. सी. की धारा 148,149,323,324,325,302,307 और 506 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त अपीलार्थियों को समन करने में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में गलती की है, जिसे सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। 5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-हरियाणा राज्य ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है

साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा हार्डीप सिंह (ऊपर) के मामले में की गई कुछ टिप्पणियों और यहां तक कि बिजेंद्र सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है।

5.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि यह कहना सही नहीं है कि अपीलार्थी

इसमें एस. एच. ओ. द्वारा दायर आवेदनों पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया था, यह प्रस्तुत किया गया है कि एस. एच. ओ. ने अपीलार्थियों को हिरासत से मुक्त करने और उन्हें रिहा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए क्योंकि वे जेल में थे और उन आवेदनों को अनुमति दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए 01.09.2016 और 28.10.2016 दिनांकित आदेशों को स्ट्रिक्टोसेंसु में निर्वहन के आदेश नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए।

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, प्रारंभिक चरण में भी जब जांच अधिकारी ने धारा के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी

173 (2) सी. आर. पी. सी. और चालान केवल चार अभियुक्तों [2019] 8 एस. सी. आर. के खिलाफ दायर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दस अभियुक्तों में से एफ. आई. आर. में नामित व्यक्ति और शेष

छह अभियुक्तों (इसमें अपीलकर्ताओं) को हटा दिया गया था, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों के खिलाफ रिपोर्ट/समापन रिपोर्ट को स्वीकार किया और वह भी, भगवंत सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके। पुलिस आयुक्त (1985) 2 एससीसी 537। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, स्थापित कानून के अनुसार, समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, एक अवसर है

आपत्तियाँ/विरोध प्रस्तुत करने के लिए सूचना देने वाले को देने की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही समापन रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद जब मुख्य/प्रतिपरीक्षा में पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2, जो क्रमशः सूचना देने वाले और घायल चश्मदीद गवाह हैं, ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अपीलार्थी भी घटना के समय मौजूद थे और उन्होंने अपराध करने में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान मजिस्ट्रेट को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ समन जारी करने में उचित ठहराया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा सही पुष्टि की जाती है। 5.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

6. संबंधित की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना

लंबे समय तक पार्टियाँ। हमने उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भी गहराई से विचार और विचार किया है।

6.1 शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को चुनौती दी जा रही है।

न्यायालय पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को समन करने और आई. पी. सी. की धारा 148,149,323,324,325,302,307 और 506 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करता है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, वर्तमान मामले में, मूल शिकायतकर्ता प्रथम मुखबिर ने विशेष रूप से दस व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नामित किया है, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल हैं। हालांकि, जांच के बाद,

जाँच अधिकारी ने केवल चार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र/चालान दायर किया और इसमें अपीलार्थियों के खिलाफ कोई चालान/आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि क्या उस समय कोई विशिष्ट बंद राजेश और ओआरएस था।

जाँच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी या नहीं। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उस स्तर पर शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को कोई विरोध आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया था या नहीं। मान लीजिए कि एफ. आई. आर. में नामित शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र/चालान दाखिल न करने को समापन रिपोर्ट कहा जा सकता है, उस मामले में भी,

कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार और विशेष रूप से, भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है और शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को विरोध आवेदन जमा करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है और इसके बाद, शिकायतकर्ता/मूल सूचना देने वाले को अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट या तो समापन रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है या समापन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकता है और उन व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्देश दे सकता है जिनके लिए समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान मामले में, कुछ भी नहीं है

अभिलेख पर कि ऐसी प्रक्रिया का पालन विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था। कि, इसके बाद उन चार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया जिनके खिलाफ आरोप पत्र/चालान दायर किया गया था। मुकदमे के दौरान पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 के बयान दर्ज किए गए। दोनों ही थे

यहाँ तक कि पार-जाँच भी की गई। बयान में, पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 ने विशेष रूप से अपीलकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से कहा कि अपराध की घटना/अपराध के समय, अपीलार्थी भी उपस्थित थे और उन्होंने अपराध करने में भाग लिया था। कि, उसके बाद, आवेदन पर

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत प्रस्तुत मूल शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत, विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसमें अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया और अपीलार्थियों को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। उक्त आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है। इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थियों को बुलाना उचित था?

7. उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है। 7.1 पहला निर्णय जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय, जो हरदिप के मामले में लिया गया है।

सिंह (ऊपर) जिसका इस न्यायालय द्वारा बाद के निर्णयों में लगातार पालन किया गया है।

7.2 इस न्यायालय ने हरदिप सिंह (उपरोक्त) के मामले में

की शक्तियों के दायरे और दायरे पर विस्तार से विचार करने के लिए

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत रणनीति; का उद्देश्य और उद्देश्य

सी. आर. पी. सी. आदि के 319 पर। उक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित पाँच प्रश्न या विचारः

" (i) धारा 319 के तहत शक्ति किस स्तर पर है?

सी. आर. पी. सी. का प्रयोग किया जा सकता है?

((ii) क्या धारा 319 (1) में "साक्ष्य" शब्द का उपयोग किया गया है।

सी. आर. पी. सी. का अर्थ केवल प्रतिपरीक्षा द्वारा जांचा गया साक्ष्य हो सकता है या

न्यायालय उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान के आधार पर भी कर सकता है। गवाह चिंतित हैं?

(iii) क्या धारा 319 (1) में "साक्ष्य" शब्द का उपयोग किया गया है।

सी. आर. पी. सी. का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और इसमें शामिल हैं - जाँच के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य या "साक्ष्य" शब्द है

((iv) किसी अभियुक्त को आरोपित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की प्रकृति क्या है? क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि समन किए गए आरोपी को दोषी ठहराए जाने की पूरी संभावना है? (v) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति उन व्यक्तियों को दी गई है जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है या जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है लेकिन उन पर आरोप नहीं लगाया गया है।

या जिन्हें छुट्टी दे दी गई है?

7.3 उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा

एलडी निम्नानुसारः

" 12. धारा 319 सी. आर. पी. सी. न्यायिक सिद्धांत से निकलती है।

डमनाचुर कम नोसेन्साब्सोल्विटुर (न्यायाधीश की निंदा तब की जाती है जब

दोषी को बरी कर दिया जाता है) और इस सिद्धांत का उपयोग एक प्रकाशस्तंभ के रूप में किया जाना चाहिए

अन्तर्निहित परिधि और आत्मा की व्याख्या करते हुए प्रकाश

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का अधिनियमन।

13. यह अदालत का कर्तव्य है कि वह सजा देकर न्याय करे

असली अपराधी। जहाँ जाँच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से एक को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, वहाँ अदालत नहीं है उक्त अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन।

सवाल राजेश और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

न्यायालय को किन परिस्थितियों में और किस स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में विचार किया गया है?

14. हमारे सामने जो प्रस्तुतियाँ उठाई गईं, वे बहुत व्यापक हैं और विद्वान वकील ने हमें दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों और उन निर्णयों के बारे में बताया है जिन पर उक्त उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है। विवाद उस स्तर के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिस पर अदालत द्वारा ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है और वह सामग्री जिसके आधार पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

17. सी. आर. पी. सी. की धारा 319 अदालत को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देती है जो उसके पहले के मामले में आरोपी नहीं है। इस प्रकार, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ समन जारी किए जाते हैं शक्तियाँ, आवश्यक रूप से पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहा अभियुक्त नहीं होना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष किसी भी सामग्री में खुलासा किया गया है जिस पर अपराध का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से विचार किया जाना है, लेकिन नहीं जांच की गई। उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी संलिप्तता का संकेत दिया जा सकता है और वह अपराध करने से जुड़ा हो।

18. यह नहीं माना जा सकता है कि विधायिका ने सभी परिस्थितियों की कल्पना की है और इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को पूरी तरह से लागू करे ताकि उन्हें शामिल किया जा सके। कोई भी स्थिति जिससे न्यायालय को किसी अपराध का मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही करते समय निपटना पड़ सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मुकदमे के योग्य है, उसकी संलिप्तता की संभावना के बावजूद मुकदमे में आरोपित नहीं होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज।

19. अदालत न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उस पर एक कर्तव्य डाला गया है और इसलिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अदालतों के साथ ऐसी शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करना अनुचित होगा, जहां यह असामान्य नहीं है कि वास्तविक आरोपी, कभी-कभी, जांच और/या अभियोजन एजेंसी में हेरफेर करके भाग जाते हैं। मुकदमे से बचने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि एक आरोपी कभी-कभी खुद को दोषमुक्त करने का प्रयास करता है।

जाँच या जाँच के स्तर पर भी, भले ही वह अपराध करने से जुड़ा हो।

22. हमारी राय में, धारा 319 सी. आर. पी. सी. एक सक्षम प्रावधान है जो अदालत को कार्यवाही [2019] 8 एस. सी. आर. के लिए उचित कदम उठाने के लिए सशक्त बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो अपराध करने के लिए भी अभियुक्त नहीं है

मुकदमे के तहत अपराध।

इस चरण को सही मायने में न्यायिक कदम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके लिए न्यायिक स्तर के बजाय केवल दिमाग के उपयोग की आवश्यकता होती है। मन का अनुप्रयोग। इस पूर्व-परीक्षण चरण में, मजिस्ट्रेट को प्रशासनिक कार्य के बजाय प्रशासनिक कार्य की प्रकृति में कार्य करने की आवश्यकता होती है।

न्यायिक जैसे धारा 207 और 208 का अनुपालन सुनिश्चित करना। सी. आर. पी. सी., और मामले को प्रतिबद्ध करना यदि यह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य है। इसलिए, हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 से 209 के स्तर पर मजिस्ट्रेट है -

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के स्पष्ट प्रावधान द्वारा, मामले के गुण-दोष पर अपना दिमाग लगाने और यह निर्धारित करने के लिए कि सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए किसी आरोपी को जोड़ने या घटाने की आवश्यकता है या नहीं, वर्जित है।

53. इस प्रकार यह उचित रूप से स्पष्ट है कि जब तक मामला अदालत द्वारा जांच या मुकदमे के चरण तक नहीं पहुंच जाता, तब तक धारा के तहत शक्ति

319 सी. आर. पी. सी. का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 54. हमारी राय में, जांच का चरण अपने सख्त कानूनी अर्थों में किसी भी सबूत पर विचार नहीं करता है, न ही विधायिका कर सकती है

इस पर विचार किया है क्योंकि सबूत के लिए मंच अभी तक नहीं आया है। एकमात्र सामग्री जो अदालत के सामने है वह है -

इस स्तर पर अभियोजन पक्ष और अदालत द्वारा एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगा सकती है कि क्या किसी व्यक्ति, जो आरोपी हो सकता है, को गलती से हटा दिया गया है। अभियोग लगाने से या अभियोजन एजेंसियों द्वारा जानबूझकर बाहर रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक आवश्यक है कि जांचकर्ता और अभियोजन एजेंसियों ने उन व्यक्तियों को अदालत के समक्ष लाने के लिए निष्पक्ष रूप से काम किया है जो मुकदमे के योग्य हैं और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर बचाने से रोकने के लिए जब उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। यह राजेश और ओआरएस के लिए आवश्यक है।

वी. हरियाणा राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

न्यायिक प्रणाली में विश्वास की शुरुआत करें जिसके तहत अदालत को जांच के स्तर पर भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए और यही कारण है कि विधायिका ने जानबूझकर अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया है, अर्थात्, धारा 319 सी. आर. पी. सी. में जांच या मुकदमा।

55. तदनुसार, हम मानते हैं कि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के आगे बढ़ने के बाद ही कर सकता है और

साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होता है और असाधारण परिस्थितियों में भी जैसा कि ऊपर बताया गया है। 56. ..... धारा के उद्देश्य के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ सबूत दिखाई देने चाहिए जो ऐसा नहीं करता है।

कई व्यक्ति, लेकिन अदालत की राय है कि कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले कुछ सबूत प्रतीत होते हैं व्यक्तियों के साथ-साथ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 एक सशक्त प्रावधान के रूप में कार्य करती है जो अदालत/मजिस्ट्रेट को ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाती है। धारा 319 सी. आर. पी. सी. का उद्देश्य पूरा करना है

न्याय और यह सुनिश्चित करना कि जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। अतः ऐसा प्रतीत नहीं होता कि

शिकायत मामले में सुनवाई के चरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की शक्तियों को लागू करने में कठिनाई जब शिकायतकर्ता के साथ-साथ उसके गवाहों का साक्ष्य दर्ज किया जा रहा हो। ” 7.4 प्रश्न संख्या (iii) का उत्तर देते समय, अर्थात् क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में प्रयुक्त "साक्ष्य" शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और इसमें जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य शामिल हैं या "साक्ष्य" शब्द साक्ष्य तक सीमित है।

विचारण के दौरान अभिलिखित, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 58. प्रश्नों का उत्तर देना और शक्तियों के प्रयोग में निचली अदालतों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना।

धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत, इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए

उन परिस्थितियों की जाँच करना जो न्यायालय के लिए ऐसी शक्तियों को लागू करने की स्थिति को जन्म देती हैं। अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को समन करने के लिए इस तरह के निष्कर्ष निकालने वाली परिस्थितियाँ

अदालत के समक्ष आने वाले तथ्यों और सामग्री की उपलब्धता से उत्पन्न होता है और इस तरह के [2019] 8 एस. सी. आर. को बुलाने का आधार बनाया जाता है।

कथित रूप से किए गए अपराध के सहयोगी के रूप में व्यक्ति। सामग्री को अपराध करने में व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा करना चाहिए जो अपराध की किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान साक्ष्य से दिखाई देने वाली सामग्री होनी चाहिए। धारा 319 में उपयोग किए गए शब्द

सी. आर. पी. सी. इंगित करता है कि सामग्री अदालत के समक्ष "कहाँ. सबूत से दिखाई देती है" होनी चाहिए।

59. इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, आइए हम "साक्ष्य" शब्द के अर्थ की जांच करें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, "साक्ष्य" का अर्थ है और इसमें शामिल हैं:

जाँच; ऐसे बयानों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है।

(2) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज

न्यायालय का निरीक्षण;

ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।

78. अतः यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द का अर्थ केवल ऐसा साक्ष्य है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

बयानों के संबंध में, और जैसा कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, दस्तावेजों के संबंध में। यह केवल ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा यह तय करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है, न कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर। 82. यह पूर्व-परीक्षण चरण एक ऐसा चरण है जिसमें शामिल अपराधों के साक्ष्य पर कोई निर्णय नहीं होता है और इसलिए,

आरोप पत्र के साथ सामग्री लाए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष, आरोप तय करने के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए इसकी जांच की जा सकती है। आरोप तय होने के बाद, अभियोजन पक्ष को सबूत पेश करने के लिए कहा जाता है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के सख्त कानूनी अर्थों में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त को अदालत के समक्ष लाकर अपराध का वास्तविक मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो उपलब्ध है वह वह सामग्री है जो आरोप-पत्र के साथ अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत के पास केवल राजेश और ओआरएस हैं।

प्रारंभिक सामग्री जो न्यायालय के समक्ष उसके विचार के लिए रखी गई है ताकि मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए

शुल्क लेते हैं।

83. इसलिए, यह कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके, बल्कि यह है कि अदालत द्वारा संज्ञान के बाद सामग्री ली जाती है, अर्थात किसी अपराध की जांच या मुकदमा चलाते समय उसके लिए उपलब्ध है, कि अदालत प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए सहायक कारणों का उपयोग या विचार कर सकती है।

न्यायालय के समक्ष, जो ऐसी सामग्री के आधार पर हो सकता है, इलाज किया गया

अपराध करने में सहयोगी होना। द.

जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह वह सामग्री है जो वास्तव में नहीं है

न्यायालय के समक्ष अभिलिखित साक्ष्य, लेकिन न्यायालय द्वारा एकत्र की गई एक सामग्री है, जिसका उपयोग अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने के उद्देश्य से पहले से अभिलिखित साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। .....

84. इसलिए "साक्ष्य" शब्द को मुकदमे के चरण में और जैसा कि पहले चर्चा की गई है, जांच के चरण में भी, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत उपयोग किया गया है, दोनों के व्यापक अर्थों में समझा जाना चाहिए। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को समन भेजने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति है।

ऐसी कोई भी सामग्री जो उसके सामने लाई गई हो। कर्तव्य और दायित्व

न्यायालय की ऐसी शक्तियों को लागू करना अधिक कठिन हो जाता है साक्ष्य दिए जाने के बाद ऐसी सामग्री पर सावधानीपूर्वक

मुकदमा।

85. ऊपर की गई चर्चा और यहाँ तैयार किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य के अलावा, कोई भी सामग्री जो अदालत को संज्ञान लेने के बाद और मुकदमा शुरू होने से पहले प्राप्त हुई है, उसका उपयोग केवल पुष्टि के लिए और अदालत द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है ताकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार "साक्ष्य" इस तक सीमित है

मुकदमे के दौरान साक्ष्य दर्ज किया गया।

7.5 प्रश्न संख्या (ii) का उत्तर देते समय, अर्थात् क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में प्रयुक्त शब्द 'एन्से' का अर्थ है

मुख्य रूप से या प्रतिपरीक्षा के साथ, उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 86. इसमें संदर्भित दूसरा प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत उपयोग किए गए "साक्ष्य" शब्द के संबंध में है, जो इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत समझा गया साक्ष्य गवाहों का बयान है जो मुकदमे के दौरान दर्ज किया जाता है और साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेज और भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। इस तरह का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से शुरू होता है, इसलिए, सबूत है जिसमें बयान शामिल है मुख्य परीक्षा। राकेश [(2001) 6 एस. सी. सी. 248: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1090: ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2521], यह अभिनिर्धारित किया गया था किः (एस. सी. सी पी. 252, पैरा 10)

" 10. ..... यह सच है कि अंत में मुकदमे के समय आरोपी को गवाह से जिरह करने का मौका दिया जाना है। इसकी सच्चाई। लेकिन सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत अदालत की शक्ति का प्रयोग करते समय वह चरण उत्पन्न नहीं होगा। एक बार जब बयान दर्ज हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई प्रतिपरीक्षा नहीं होगी, यह एक प्रथम दृष्टया सामग्री होगी जो सत्रों को सक्षम बनाएगी।

अदालत यह तय करेगी कि क्या धारा 319 के तहत शक्तियां होनी चाहिए

व्यायाम करें या न करें। "

87. रणजीत सिंह में [रणजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 149: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1554: ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3148], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (एस. सी. सी पी. 156, पैरा 20)

" 20. ..... अदालत के लिए पूरे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए साक्ष्य एकत्र किया जाता है।

88. मोहम्मद में। शफी [मोहम्मद। शफी बनाम। मोहम्मद. रफीक, (2007) 14 एससीसी 544: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 889: ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899]

अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त अदालत की संतुष्टि है कि वह वह व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलता है, जिसके लिए अदालत जिरह समाप्त होने तक इंतजार भी कर सकती है और ऐसा करने में कोई अवैधता नहीं होगी। इसी तरह का विचार दो न्यायाधीशों की पीठ ने भी लिया है, जिसमें से एक न्यायाधीश ने मामले के मुख्य न्यायाधीश, हरभजन सिंह को ठहराया है।

वी. पंजाब राज्य [(2009) 13 एससीसी 608: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1135] इस न्यायालय में, (हार्दीप सिंह बनाम।

राज्य राजेश और ओ. आर. एस. वी. हरियाणा राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

मोहम्मद. रफीक, (2007) 14 एससीसी 544: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 889: ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1899], जैसा कि इसने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त निर्णय में कहा गया है कि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, अदालत को अनिवार्य रूप से तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि गवाह से जिरह नहीं की जाती है और साक्ष्य की पूरी सराहना पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 89. हमने उपरोक्त मामलों में व्यक्त किए गए विविध विचारों पर विचारपूर्वक विचार किया है। एक बार जांच

इन-चीफ का संचालन किया जाता है, बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। यह कानून के अनुसार और सही अर्थों में सबूत है, क्योंकि सबसे अच्छा, यह हो सकता है

खंडन करने योग्य बनें। एक साक्ष्य का खंडन या विरोधाभासी होना विचार, प्रासंगिकता और विश्वास का विषय बन जाता है, जो अदालत द्वारा निर्णय का चरण है। फिर भी यह सबूत है और यह उस आधार पर सामग्री है जिसके आधार पर अदालत किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया राय ले सकती है जो हो सकता है

अपराध से जुड़ा हुआ। 90. जैसा कि मोहम्मद में आयोजित किया गया। शफी [मोहम्मद। शफी बनाम। मोहम्मद. रफीक (2007) 14 एस. सी. सी. 544 (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 889: ए. आई. आर. 2007 एससी

1899] और हरभजन सिंह [(2009) 13 एस. सी. सी. 608: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1135], धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह यह है कि उसे अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए कि

कोई अन्य व्यक्ति जो मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है, वह भी अपराध में शामिल हो सकता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त प्रथम दृष्टया उस दृष्टिकोण के समान है जिस पर मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए आना चाहिए।

इसलिए, इस तरह की राय पर पहुंचने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों के संबंध में कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला नहीं रखा जा सकता है और न ही रखा जाना चाहिए और यदि मजिस्ट्रेट/अदालत मुख्य परीक्षा में उपस्थित साक्ष्य के आधार पर भी आश्वस्त हो जाती है, तो वह धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है और ऐसे लोगों के खिलाफ आगे बढ़ सकती है।

अन्य व्यक्ति (ओं)। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस खंड में इन शब्दों का भी उपयोग किया गया है कि "ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है"

कोशिश की। इसलिए, जो आवश्यक है वह यह है कि इस स्तर पर परीक्षा और प्रतिपरीक्षा और उसके बाद [2019] 8 एस. सी. आर. द्वारा लघु परीक्षण न किया जाए।

ऐसे व्यक्ति के स्पष्ट कार्य पर निर्णय देना जोड़ा जाना चाहिए। वास्तव में, यह छोटा मुकदमा ही है जो उस व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करेगा जिसे अभियुक्त के रूप में आरोपित करने की मांग की गई थी, न कि ऐसा न होने के कारण।

किसी भी प्रतिपरीक्षा के लिए, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की उप-धारा (4) के आलोक में, व्यक्ति एक नए मुकदमे का हकदार होगा जहां वह

अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह करने और उसी पर अपनी दलीलें आगे बढ़ाने के अधिकार सहित सभी अधिकार होंगे। इसलिए, जाँच-पड़ताल के आधार पर भी, अदालत या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ तब तक कार्यवाही कर सकते हैं जब तक कि अदालत का मानना है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पेश होने वाला सबूत ऐसा है कि प्रथम दृष्टया ऐसे व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए लाना आवश्यक है। वास्तव में, मुख्य रूप से प्रतिपरीक्षा द्वारा अप्रमाणित परीक्षा, निस्संदेह अपने आप में एक प्रमाण है। 91. इसके अलावा, हमारी राय में, गवाह की प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने के पीछे कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है।

ऊपर। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति के प्रयोग के समय, व्यक्ति को एक अभियुक्त, किसी भी तरह से मुकदमे में भाग नहीं ले रहा है। भले ही प्रतिपरीक्षा को ध्यान में रखा जाना है, व्यक्ति ने चाहा

साक्ष्य की श्रृंखला, जब तक कि गवाह (एस) पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्तियों की भूमिका को मिटा नहीं रहा है। इसके अलावा, धारा 299 सी. आर. पी. सी. सक्षम करती है न्यायालय उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित करेगा।

92. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग पूरा होने के चरण में किया जा सकता है।

जाँच-इन-चीफ और अदालत को तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उक्त साक्ष्य का जिरह पर परीक्षण नहीं किया जाता है क्योंकि यह अदालत की संतुष्टि है जो अदालत द्वारा दर्ज किए गए कारणों से एकत्र की जा सकती है, किसी अन्य व्यक्ति (ओं) की संलिप्तता के संबंध में, जो अपराध में मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है। राजेश और ओआरएस।

वी. हरियाणा राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

7.6 प्रश्न संख्या (iv) का उत्तर देते हुए, अर्थात् धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक डिग्री क्या है, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

105. धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति एक विवेकाधीन है और

एक असाधारण शक्ति। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य मिलता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और घुड़सवार में। तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि हालांकि केवल एक प्रथम दृष्टया मामला है

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से स्थापित किया जाए, नहीं अनिवार्य रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण किया गया, इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह वह है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, यदि अप्रमाणित हो जाता है,

विश्वास की ओर ले जाएगा। ऐसी संतुष्टि के अभाव में,

अदालत को धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

सीआरपीसी। धारा 319 सी. आर. पी. सी. में प्रावधान करने का उद्देश्य यदि "ऐसा प्रतीत होता है"

इस साक्ष्य से कि कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई अपराध किया है, "शब्दों से स्पष्ट है" जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। शब्द हैं।

"जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए, अदालत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कार्य करने की कोई गुंजाइश नहीं है अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय तैयार करना।

7.7 प्रश्न संख्या (v) का उत्तर देते समय, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत मेरी शक्तियों का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाना चाहिएः [आर में नामित, लेकिन आरोप पत्र या आरोपमुक्त नहीं किया गया है, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया हैः

" 112. हालांकि, एक के संबंध में एक बड़ा अंतर है

व्यक्ति जिसे छुट्टी दे दी गई हो। एक व्यक्ति जो [2019] 8 एस. सी. आर. रहा है।

आरोपमुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में अलग आधार पर खड़ा होता है जिसकी कभी जांच नहीं की गई थी या जिसके अधीन किया गया था, लेकिन आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। ऐसा व्यक्ति अदालत के समक्ष जांच के चरण में खड़ा रहा है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की न्यायिक जांच पर, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि

ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं है। आम तौर पर, मुकदमे में साक्ष्य का चरण केवल जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को साबित करना होता है और इसलिए, व्यक्ति के खिलाफ मौजूद सामग्री के संबंध में बहुत अधिक बदलाव नहीं होता है

इसलिए छुट्टी दे दी गई। इसलिए, वहाँ बाध्यकारी होना चाहिए

ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए परिस्थितियाँ। अदालत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गवाह व्यक्ति के खिलाफ सबूत देते समय ऐसा करता है

छुट्टी दे दी गई है, ऐसा केवल बदला लेने के लिए नहीं कर रहा है या नाम ले रहा है

उसे किसी के कहने पर या ऐसे अन्य बाहरी व्यक्ति के लिए विचार करें। अदालत को इस तरह के साक्ष्य का इलाज करने में सावधानी बरतनी होगी और भूसे को अनाज से अलग करने का प्रयास करना होगा। यदि साक्ष्य की इस तरह की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अदालत की राय है कि इस तरह से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सबूत मौजूद हैं, तो वह कदम उठा सकती है लेकिन केवल धारा के अनुसार ही।

398 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रावधान का सहारा लिए बिना दंड प्रक्रिया संहिता

सीधे।

116. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है जिसकी जांच नहीं की गई है, या आरोप पत्र के कॉलम 2 में रखे गए व्यक्ति के खिलाफ और जिसके खिलाफ

संज्ञान नहीं लिया गया था, या एक व्यक्ति जिसे छुट्टी दे दी गई थी। हालाँकि, एक व्यक्ति के बारे में जो

आरोपमुक्त किए जाने के बाद, उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत सीधे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

धारा 300 (5) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 398 के साथ पढ़ा जाता है।

7.8 ई. पी. सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और ऊपर प्रस्तुत टिप्पणियों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह सामने आता है कि (i) न्यायालय प्रयोग कर सकता है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत, यहां तक कि संबंधित गवाह के मुख्य परीक्षण में किए गए साक्ष्य के आधार पर भी, अदालत को ऐसे गवाह की प्रतिपरीक्षा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, अदालत

को अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जिसे प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण के लिए बुलाए जाने का प्रस्ताव है; और (ii) एक व्यक्ति जो राजेश और ओ. आर. एस. नहीं है।

एफ. आई. आर. में नामित व्यक्ति या यद्यपि एफ. आई. आर. में नामित व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस पर आरोप पत्र नहीं लगाया गया है या जिस व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसे सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत तलब किया जा सकता है, जो साक्ष्य से प्रदान किया गया है (संबंधित गवाह की जांच में दिए गए बयान के रूप में एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर हो सकता है), ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

7.9 एस. मोहम्मद इस्पाहानी बनाम के मामले में। योगेंद्र

चंडक (2017) 16 पैरा 35 में एस. सी. सी. 226, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 35. यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, लेकिन पुलिस, जांच के बाद, उस विशेष व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे फंसाये बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो अदालत शक्तिहीन नहीं होती है, और समन के स्तर पर, यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए, भले ही आरोप में उसका नाम न हो। शीट, यह ऐसा कर सकता है। उस स्तर पर, शिकायतकर्ता को एक विरोध याचिका दायर करने का भी मौका दिया जाता है, जिसमें निचली अदालत से अन्य व्यक्तियों को भी तलब करने का आग्रह किया जाता है, जिनका नाम प्राथमिकी में था, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक बार वह चरण समाप्त हो जाने के बाद, न्यायालय अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। हालाँकि, यह धारा तब शुरू हो जाती है जब मुकदमे के दौरान इसके खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं।

प्रस्तावित अभियुक्त "।

7.10 इस प्रकार, ऐसे मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को एक विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने का चरण, जिसमें निचली अदालत से अन्य व्यक्तियों को भी तलब करने का आग्रह किया गया था, जिनका नाम प्राथमिकी में था, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था, उस मामले में भी, अदालत अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है और यहां तक कि उन व्यक्तियों को भी जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है, लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, बशर्ते कि मुकदमे के दौरान कुछ सबूत दिए गए हों।

प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ सामने आता है।

8. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

हाथ में मामले के तथ्यों के लिए निर्णय, हमारी राय है कि, में

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, न तो विद्वत विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थियों को बुलाने में कोई त्रुटि की है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, यहाँ अपीलार्थियों को भी एफ़. आई. आर. में नामित किया गया था।

शिकायतकर्ता को अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर न करने के खिलाफ विरोध आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया था। न्यायालय के समक्ष बयान में, पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 ने यहाँ अपीलार्थियों के खिलाफ विशेष रूप से कहा है और विशिष्ट भूमिका का श्रेय अभियुक्त-अपीलार्थियों को दिया गया है। इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 के बयान को मुकदमे के दौरान "सबूत" कहा जा सकता है और, इसलिए, उसी के आधार पर और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हार्डीप सिंह (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, जिन व्यक्तियों के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि निम्न न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थियों को बुलाने में कोई त्रुटि नहीं हुई है।

9. अब, जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ, दिनांकित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों पर निर्भर हैं।

01.09.2016 और 28.10.2016 कि एक बार यहाँ अपीलार्थी थे

जांच अधिकारी/एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपमुक्त किया गया और इसलिए, इसके बाद यह विद्वत मजिस्ट्रेट के लिए खुला नहीं था कि वह अभियुक्त को सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों की ओर से कुछ गलत धारणा है। शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 01.09.2016 दिनांकित आदेश और

28.10.2016 यह नहीं कहा जा सकता कि यह अभियुक्त को रिहा करने का आदेश है। यदि जांच अधिकारी/एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत आवेदनों और उन पर पारित आदेशों पर विचार किया जाता है, तो वे अपीलार्थियों को हिरासत से मुक्त करने/रिहा करने के लिए आवेदन थे क्योंकि उस स्तर पर अपीलार्थी न्यायिक हिरासत में थे। इसलिए, उन आदेशों को स्ट्रिक्टोसेंसु में निर्वहन का आदेश नहीं कहा जा सकता है। ये वे आदेश हैं जो अपीलार्थियों को अभिरक्षा से मुक्त करते हैं। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि जैसा कि उन्हें अभियुक्त द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया था विद्वत मजिस्ट्रेट और इसलिए यह विद्वत मजिस्ट्रेट के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने और अपीलार्थियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के लिए खुला नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम

विद्वान मजिस्ट्रेट राजेश एंड ओआरएस द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

वी. हरियाणा राज्य

[एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त-अपीलार्थियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत ए की शक्ति का प्रयोग करते हुए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब करना। हम पूरी तरह से सहमत हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ। इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज होने योग्य है और खारिज की जाती है। देविका गुजराल